भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4878

उत्तर देने की तारीखः 01.04.2025

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

4878. श्रीमती शांभवी:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:
श्री राजेश वर्मा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) का कौशल विकास के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसरों के सृजन द्वारा अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी में कमी लाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) वर्ष 2024 में अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त अवसंरचना और अपेक्षित सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2024 में पीएम-अजय के आदर्श ग्राम घटक में अनुसूचित जाति बहुल गांवों के विकास के अंतर्गत लाभान्वित गांवों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(घ) वर्ष 2024 में पीएम-अजय के अंतर्गत आवासीय सुविधाएं प्रदान करके स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों के नामांकन और साक्षरता में वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) वर्ष 2024 में पीएम-अजय योजना की निगरानी और मूल्यांकन के लिए वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2021-22 से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तीन घटक हैं: (i) 'आदर्श ग्राम', (ii) 'अनुसूचित जाति (एससी) समुदायों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य

स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता' और (iii) 'छात्रावास'। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(i) अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त अवसंरचना और अपेक्षित सेवाएं सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करना।

(ii) कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी को कम करना।

(iii) गुणवत्तापूर्ण संस्थानों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएं प्रदान करके, साथ ही जहां आवश्यक हो, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों/अनुसूचित जाति बहुल ब्लॉकों और भारत में अन्यत्र, आवासीय विद्यालय उपलब्ध कराकर, साक्षरता में वृद्धि करना और अनुसूचित जातियों के नामांकन को प्रोत्साहित करना।

कौशल विकास योजना के अनुदान-सहायता घटक के अंतर्गत शामिल हस्तक्षेपों में से एक है। 25 राज्यों ने 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के लिए परिप्रेक्ष्य योजनाएं प्रस्तुत की हैं और अनुदान-सहायता घटक के तहत 2023-24 और 2024-25 के दौरान कौशल विकास के लिए 987 परियोजनाओं सहित 8146 परियोजनाओं के लिए 457.82 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ख) और (ग): वर्ष 2021-22 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की पूर्ववर्ती योजना को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) की व्यापक योजना के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। 40% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी और 500 या उससे अधिक की कुल आबादी वाले गांव इस योजना के तहत चयन के लिए पात्र हैं। चयनित गांवों को 10 प्रभाव क्षेत्रों (डोमेन) नामत: पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सड़कें और आवासन, बिजली और स्वच्छ ईंधन, कृषि पद्धतियां, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण, आजीविका और कौशल विकास, जो किसी भी गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं हैं, के अंतर्गत अभिचिह्नित 50 सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक संकेतकों के साथ परिपूर्ण किया जाता है। 2018-19 से अब तक 29,847 गांवों का चयन किया गया है, जिनमें से 11,076 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। 2024-25 के दौरान 4,991 गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है।

(घ): छात्रावास घटक का उद्देश्य साक्षरता को बढ़ाना तथा आवश्यकतानुसार गुणवत्तापूर्ण संस्थानों और आवासीय विद्यालयों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए स्कूलों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों के नामांकन को बढ़ाना है। अब तक, पीएम-

अजय के तहत 891 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 27 छात्रावास 2024-25 के दौरान स्वीकृत किए गए हैं।

(ङ): पीएम-अजय के तहत, कुल निधि का 5% तक योजना के प्रशासन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए आवंटित किया जाता है। 2024-25 के दौरान, पीएम-अजय के तहत प्रशासनिक व्यय के रूप में 6.64 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

*****